

अधिकृत्यना

पटना, दिनांक २५ फरवरी, 2008

लाइन ३० १४ 'एम १२-०६/९८' २२३(१४) / बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भता  
जौर पेशन) अधिनियम 2006 को घास ४ हजार प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के  
राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 -

१-सांकेति नाम एवं आरम्भ - (१) यह नियमावली बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य  
चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2008 कही जायगी।

(२) यह पहली अक्टूबर, 2008 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायगी।

२-परिभाषा-जब तक कोई वात, विषय या सदर्म के विरुद्ध न हो इस नियमावली में :-

- (अ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद के सदस्य।  
(ब) "पूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य।

(३) "विशेषज्ञ चिकित्सक" रो अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/इन्दिरा गांधी आयुषिकान संस्करण के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके हारा अनुरूपी की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।

(४) सरकारी अस्पताल " से अभिप्रेत है सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा सम्पोषित अस्पताल।

(५) "मान्यता प्राप्त अस्पताल" से अभिप्रेत है वैसी नियमी अस्पताल जो बिहार सरकार द्वारा उपचार के प्रयोगनार्थ मान्यता प्राप्त हो। इसमें सी० जी० एवं ए०० से मान्यता प्राप्त अस्पताल भी सम्मिलित हैं।

(६) "सभा" और "परिषद" से अभिप्रेत है, क्रमशः बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद।

“3— हकदारी— राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों एवं उनपर आश्रित उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कायेंत अखिल मारतीय सेवा के श्रेणी-I के पदाधिकारियों के समरूप चिकित्सा उपचार एवं प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। पूर्व सदस्य एवं उनके पति/पत्नी भी इस नियमावली के अधीन उपचार तथा प्रतिपूर्ति की सुविधा के हकदार होंगे।”

4— राज्य से बाहर उपचार :— (1) किरी गंभीर बोमारी की दशा में विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर सरकारी अस्पतालों में अथवा राज्य सरकार/सी०जी०एच० एस० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी उपचार प्राप्त किया जा राकहा है। विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर राज्य के बाहर उपचार के लिए अनुमति देने हेतु संघिव बिहार विधान सभा/विधान परिषद संबंध प्राधिकारी होंगे।

(2) हुदयपात, ब्रेन हैमरेज, और गंभीर सड़क दुष्टीना की दशा में सदस्य/पूर्व सदस्य/ राज्य से बाहर सरकारी या सी० जी० एच० एस० से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के लिए बिना पूर्वानुमति के प्रस्थान कर सकते हैं, यदि अत्यंत जापाती स्थिति हो, किंतु यथा संभव शीघ्र आवश्यक सूचना संविव बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद, को भेज दी जायगी।

5— राज्य के भीतर उपचार—राज्य के भीतर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संघिव बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद, उपचार पर उपगत मुगतान रोधे संबंधित सदस्यों/पूर्व सदस्यों को नियम-7 के अनुसार अनुमान्य करें।

6— अधिग्रंथ एवं प्रतिपूर्ति :—(1) यदि सरकारी अस्पतालों या मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार करना चाहा जा तो अस्पताल के ग्रान्कलन के आधार पर अरतो प्रतिशत अधिग्रंथजुरी की जायेगी। ऐसे अस्पतालों में उपचार के लिए मजबूर जाग्रिम १० माह के भीतर राज्य/पूर्व सदस्यों द्वारा रामायोजित व कार ढाँगा। जाग्रिम की कंजूरी के पश्चात एक माह के भीतर यदि उपचार आरंभ नहीं किया जाता है तो एसे जाग्रिम की पूरी रात वारत्स्यों/पूर्व सदस्यों को उपस करनी होगी अवश्य एक सदस्यों के बैठन/पूर्व सदस्य के बैठन के समावेशित की जाएगी।

(2) यदि ग्रान्कलन ने सात मन्त्र जाग्रन ते कम जे से ज्ञाता की साथ राज्य ने सदस्य/पूर्व सदस्य जे एक माह के भीतर समायोजन के लिए एक किस्त में जमा करनी होगी।

(3) पूर्व सदस्य को अपन लेते तथा जन नडी फैल पर अवृत्त को विहित इन्होंने भीतर एक नियम में जमा करने के लिए एक शब्द पर देखा हुआ।

7- प्रतिपूर्ति अधिकार:- 2.00 लाख (दो लाख) रुपये तक की मंजूरी देने हेतु वित्त विभाग द्वारा नियुक्त/प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से संविव विधान सभा / विधान परिषद सक्षम होंगे। यदि राशि 2 लाख (दो लाख) रुपये से अधिक हो तो विपत्र की जाँच एवं सवाधीत अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से अध्यक्ष विहार विधान सभा/ सभापति विहार विधान परिषद द्वारा प्रतिपूर्ति मंजूर की जाएगी ।


8- वहिवासी विकित्सा:-वहिवासी उपचार की सुविधा वही रहेगी जो उन रोगों की दशा में जिसके लिए वहिवासी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है । वैसे रोगों की विकित्सा के मामले में सदस्य/पूर्व सदस्य स्वयं अथवा अश्रितों के उपचार के लिये विपत्र अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर संविव विहार विधान सभा/संविव विहार विधान परिषद को दें। संविव विहार विधान सभा/विधान परिषद, सदस्य/ पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेंगे।

9- परिचारी:- रोगी के साथ एक परिचारी की स्वीकृति दी जायगी वह उसी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा।

10-निरसन एवं बावृति:-इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से विहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य हेतु प्रवृत्त विकित्सीय उपचार नियमावली 2000 निरस्त समझी जायेगी । ऐसे निरसन के होते हुए निरसीत नियमावली के प्रावधानों के अधीन किये गये कुछ भी का या की गयी किसी भी कार्रवाई का पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बदलाव या किसी भी रीति से प्रभावित नहीं किया जायगा/की जायेगी मानो उक्त नियमावली निरसित नहीं की गयी हो।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को विहार राज्य के असाधरण गजट के अगले अंक में सर्व साधरण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

विहार राज्यपाल द्वारा आदेश से

  
(अमरेन्द्र नारायण सिंह )

सरकार के अपर आयुक्त

जाप ३० २२८(14)

दिनांक २५/२/०८

पाठोलिपि:-अधीक्षक, संविवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, मुलजारबग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

१. इसको 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ रखात्य कियाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का काट करें।

सरकार के अप

दिनांक २५/२/०८

प्रतिलिपि:- महाराजेन्द्रनगर, विहार, पटना/कोणार्गार पटालिकारी संविवालय  
मानव सुनामाने का अवलम्बन कर्तव्यहृदय प्रेषित ।

ज्ञाप सं० २२८(१४)

दिनांक २५/२/०८

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, विधान सचिव, गवर्नमेंटल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, सरादीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/राज्य पाल राजिवालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री राजिवालय, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के आत्म सचिव बिहार पटना/उप मुख्यमंत्री के आत्म सचिव, बिहार, पटना/आप सचिव, मंत्री स्वास्थ्य चिठ्ठी रिपोर्ट ५० को एवं देशी विकित्सा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- ५५० (पांच हाँ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- २५० (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- रामी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निवेशक प्रमुख, स्वास्थ्य रोगाये बिहार, पटना/अपर मुख्य विकित्सा पदाधिकारी/आधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राकार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिंगल राज्यन/आधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/रेटेट लेप्रोसो आफीसर, स्वास्थ्य भवन, पटना/निवेश टी० बी० डी० सी० पटना, दरमंगा/सभी क्षेत्रीय उप निवेशक स्वास्थ्य रोगाये/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार, पटना/सहायक निवेशक काइलेरिया को सूचनार्थ।

सरकार के अपर आयुष्मान  
६०५